(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग III खण्ड 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 77 **नई दिल्ली** 14 मई 2005

<u>अधिसूचना</u>

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्द्वारा, वर्तमान वॉल्यूम डिस्काउंट स्कीम को वापिस लेने के लिए विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव को संलग्न आदेशानुसार अनुमोदन प्रदान करता है ।

(अ.ल. बोंगिरवार)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी /10/2005-वीपीटी

विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास (वीपीटी) ---- **आवेदक**

आदेश

(अप्रैल 2005 के 25 वें दिन पारित)

यह प्रकरण वर्तमान वॉल्यूम डिस्काउंट स्कीम को 1 अप्रैल 2005 से वापिस लेने हेतु विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास (वीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है ।

2. इस प्राधिकरण ने वॉल्यूम डिस्काउंट स्कीम 1 अप्रैल 2003 से लागू करने हेतु वीपीटी के प्रस्ताव को अपने आदेश सं. टीएएमपी/92/2002-वीपीटी दिनांक 17 मार्च 2003 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया था ।

3.1. वीपीटी ने बताया है कि इस प्राधिकरण द्वारा इसके दरमान में निर्धारित दरें उच्चतम स्तर की हैं और छूट निम्नतम स्तर की हैं । महापत्तन, यदि चाहें तो, उन्हें दरों को कम करके प्रभारित करने या अधिक छूट प्रदान करने का लचीला अधिकार प्राप्त है । अधिसूचित प्रशुल्क पर रियायत प्रदान करने हेतु महापत्तनों को पहले से ही उपलब्ध लचीले अधिकार को देखते हुए, इसने 1 अप्रैल 2005 से वर्तमान वॉल्यूम डिस्काउंट स्कीम को वापिस लेने का प्रस्ताव किया है । इसका कहना है कि एक निर्यातक या आयातक को अधिक से अधिक मात्रा में माल उतराई / लदाई प्रहस्तन के लिए (वित्तीय) प्रोत्साहन प्रदान कर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और न्यासी मंडल के अनुमोदन से उच्चतम दरों में कटौतियाँ प्रदान की जाएंगी ।

3.2. वीपीटी ने 2 मार्च 2005 को हुई अपने न्यासी मंडल की बैठक में प्रस्ताव को पारित करने वाले संकल्प की एक प्रति भी भेजी है ।

4. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव की एक-एक प्रति विभिन्न सम्बद्ध पत्तन उपयोगकर्त्ताओं / उपयोगकर्त्ताओं के प्रतिनिधि निकायों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिपत्रित की गई थी ।

5. उपयोगकर्त्ताओं ने प्राप्त टिप्पणियाँ वीपीटी को प्रतिपूरक सूचना / टिप्पणी के रूप में भेजी गई थी । इसके उत्तर में, वीपीटी ने कहा है कि उपयोगकर्त्ताओं द्वारा की गई टिप्पणियों पर उसे कोई टिप्पणी नहीं करनी है ।

6. इस प्रकरण में परामर्श से संबंधित प्रक्रियाएँ इस प्राधिकरण के कार्यालय में रिकार्ड में उपलब्ध हैं । प्राप्त टिप्पणियों और सम्बद्ध पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों के सारांश आनुषंगिक पक्षों को अलग से भिजवा दिए जाएंगे । ये विवरण हमारे वैबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध है ।

7. इस प्रकरण पर प्रक्रिया के दौरान एकत्रित सूचना की समग्रता के संदर्भ से निम्नलिखित स्थिति उभरती है:

(i) वर्तमान वॉल्यूम डिस्काउंट स्कीम को इस प्राधिकरण द्वारा वीपीटी के अनुरोध पर अनुमोदन प्रदान किया गया था । जैसाकि यह योजना बहुत वैज्ञानिक ढंग से तैयार नहीं की गई थी, प्रस्तावित वॉल्यूम डिस्काउंट स्कीम 1 अप्रैल 2003 से प्रयोगात्मक आधार पर स्वीकार की गई थी और पत्तन को सुझाव दिया गया था कि वह वित्तीय वर्ष 2003-04 के अन्त में योजना की समीक्षा करे ।

(ii) तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (टीएनईबी) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) जैसे कुछ उपयोगकर्त्ताओं ने वर्तमान वॉल्यूम डिस्काउंट स्कीम के वापिस लिए जाने पर आपत्ति दर्ज की है ।

वॉल्यूम डिस्काउंट स्कीम, वीपीटी के माध्यम से अतिरिक्त कार्गो प्रहस्तन तथा वर्तमान कार्गो मात्रा बनाए रखने के लिए उपयोगकर्त्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु लागू की गई थीं । वॉल्यूम डिस्काउंट स्कीम पिछले दो वर्षों से, पहले ही प्रचालन में है । यह स्वीकार किया गया है कि कोई भी प्रशुल्क प्रोत्साहन योजना अनिश्चित काल तक चालू नहीं रह सकती । यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि दरमान में प्रशुल्क सेवा प्रदान करने की कुल लागत के संदर्भ से सुनिश्चित किया जाता है । यदि आवश्यक हुआ तो दरमान में बुनियादी दरों को प्रशुल्क नियामक घटा सकता है जो सावधिक अंतरालों पर की गई समान समीक्षा में ही संभव है । अधिसूचित प्रशुल्क पर कोई कटौती प्रदान करना पत्तन प्राधिकरण का पूर्णरुपेण वाणिज्यिक विवेक है ।

(iii) यहाँ यह स्मरण करना प्रासंगिक होगा कि पहले, इस प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित की गई दरें पत्तन न्यासों के लिए दरें थी और प्रशुल्क में किसी भी कटौती के लिए इस प्राधिकरण के अनुमोदन की आवश्यकता होती थी । इस तात्कालिक व्यवस्था को देखते हुए ही, समीक्षाधीन वॉल्यूम डिस्काउंट स्कीम, इस प्राधिकरण के अनुमोदन से लागू की गई थी । प्रचलित वर्तमान प्रशुल्क ढांचा व्यवस्था के अनुसार इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दरें उच्चतम स्तर की दरें हैं और छूट निम्नतम स्तर की हैं । अतएव, महापत्तनों को यदि वे ऐसा चाहें तो निम्नतर प्रशुल्क वसूल करने का या इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित स्तर से अधिक छूट प्रदान करने का लचीला अधिकार प्राप्त है । पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमएसआरटीएच) द्वारा हाल ही में घोषित संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शी भी निष्पक्ष और उद्देश्यपूर्ण आधार पर निर्धारित समूची उच्चतम दरों के भीतर ही अतिरिक्त कार्गो को आकर्षित करने की दृष्टि से बल्क / मोहक सुविधा प्रचालकों द्वारा महत्तर निष्पादन को प्रेरित करने हेतु अवरोही दरमान अपनाने के लिए महापत्तनों / निजी टर्मिनलों को यह लचीला अधिकार प्रदान करता है । इस उपलब्ध लचीलेपन के कारण, जैसाकि वीपीटी ने ठीक ही उल्लेख किया है, यह बाजार के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखकर अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर, जहाँ कहीं आवश्यक हो, अधिसूचित दरों को घटा सकता है । इस परिप्रेक्ष्य में देखने पर, नियामक द्वारा पत्तन पर कोई अलग वॉल्यूम डिस्काउंट स्कीम लादने की आवश्यकता नहीं है ।

यह ध्यान देने योग्य है कि इस प्राधिकरण ने हाल ही में, पत्तन के अनुरोध पर कोच्चिं पत्तन न्यास में कन्टेनर्स पर वॉल्यूम डिस्काउंट स्कीम को वापिस लेना अनुमत कर दिया है । संयोगवश, तूतिकोरिन पत्तन न्यास ने भी पैकेज मैरिन चार्ज पर रियायती प्रशुल्क वापिस लेने का ऐसा ही अनुरोध किया है जो इस प्राधिकरण के अलग से विचाराधीन है ।

(iv) वीपीटी ने अपने प्रस्ताव पर पिछले प्रभाव अर्थात 1 अप्रैल 2005 से अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है । इस प्राधिकरण द्वारा सामान्य रूप से, आदेश भावी प्रभाव से पारित किए जाते हैं । प्रशुल्क निर्धारण के लिए संशोधित मार्गदर्शी भी अपवादीय परिस्थितियों के अलावा, आदेशों को भावी प्रभाव से लागू करने का प्रावधान करते हैं ।

वर्तमान प्रकरण में, स्कीम वित्तीय वर्ष आधार पर प्रचालित होती है । स्कीम को चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 में अप्रचलित करने के लिए इस प्रस्ताव को, अनिवार्य रूप से पिछले प्रभाव 1 अप्रैल 2005 से अनुमोदन प्रदान करने की आवश्यकता होगी ।

8. परिणामस्वरूप, और ऊपर दिए गए कारणों से, तथा समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण वर्तमान वॉल्यूम डिस्काउंट स्कीम 1 अप्रैल 2005 से वापिस लेने हेतु वीपीटी के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करती है । तद्नुसार, वीपीटी के दरमान में इस संबंध में आनुषंगिक प्रावधान हटाए जाते हैं ।

(अ.ल.बोंगिरवार)
अध्यक्ष